इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक ३६९]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई 2022—आषाढ़ 21, शक 1944

विधि (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2022

फा. क्र. 54-2022-चार-वि.निर्वा.-173.—भारत निर्वाचन आयोग को अधिसूचना क्रमांक 479-2022(1), दिनांक 11 जुलाई 2022 को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजेश कुमार कौल, अपर सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2022—आषाढ़ 20, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं. 479/2022(1):- यतः भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022 के संचालन के संबंध में राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974, के नियम 7 के अधीन दिनांक 15 जून, 2022 को जारी अपनी अधिसूचना सं. 479/2022(1) के द्वारा मतदान का स्थान व निर्वाचकों का समूह, जो उन मतदान स्थलों पर मतदान करने का पात्र होगा, उनको अधिसूचित कर दिया है; और

यतः, उक्त अधिसूचना की टिप्पणी में मतदान की तारीख से 10 दिन पहले की सीमा उस रूप में निर्धारित की गई है, जिससे पहले कोई भी संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य किसी विशेष परिस्थिति के कारण यदि उनके समूह के लिए अधिसूचित मतदान-स्थल के अलावा अन्य मतदान स्थल पर मतदान करना चाहता/चाहती हो तो उसे निर्धारित प्रपत्र में भारत निर्वाचन आयोग को सीधे आवेदन करते हुए सूचित करना होगा; और

यतः, आयोग ने अत्यन्त तात्कालिक स्थिति के मामले में 10 दिन पूर्व सूचना की उपर्युक्त शर्त को उदार बनाने का निर्णय लिया है;

अतः, अब आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए आयोग में मतदान की तारीख़ से 10 दिन पूर्व की अवधि के पश्चात भी प्राप्त अनुरोध, यदि कोई है, तो आयोग द्वारा उस पर व्यक्तिगत मामले की स्थिति के आधार पर विचार किया जा सकता है और आयोग ऐसे संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य को उनके समूह के लिए अधिसूचित स्थान के अलावा अन्य मतदान स्थल पर मतदान करने की अनुमति दे सकता है, यदि इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो।

आदेश से,
हस्ता./(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 11th July, 2022—Ashadha 20, 1944 (Saka)

NOTIFICATION

No. 479/2022(1): - Whereas, the Election Commission of India, in connection with conduct of Presidential Election, 2022, has notified under Rule 7 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, vide its Notification No. 479/2022(1) dated 15th June, 2022, the Place of polling and Group of electors who will be entitled to vote at those places of poll; and

Whereas, in the Note to the said Notification, a limit of 10 days before the date of poll has been fixed, before which any Member of Parliament/Member of Legislative Assembly, on account of exigency for special circumstances, has to intimate if he/she desires to vote at place of polling other than the one notified for his/her group, by directly applying to the Election Commission of India in the prescribed format; and

Whereas, the Commission has decided to liberalise the above said stipulation of 10 days' prior intimation in case of extreme urgent situation;

Now, therefore, the Commission has decided that the requests for the aforesaid purpose, received in the Commission, even after 10 days before the date of poll, if any, may be considered by the Commission based upon the circumstances of individual case and allow such Member of Parliament/Member of Legislative Assembly to cast vote at place of polling other than the one notified for his/her group, if there is sufficient time available for making necessary arrangements in this regard.

By order,

Sd./(SUMAN KUMAR DAS)

Secretary,

Election Commission of India.